झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

पत्रांक : 79 रांची, दिनांक : 09.01.2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0 सरकार के सचिव।	**कमल किशोर सोन, भा0प्र0से0** सरकार के सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त (सभी)
झारखण्ड।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना' के कियान्वयन हेतु प्रारंभिक तैयारी करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें किसानों को खरीफ मौसम के लिए प्रति वर्ष प्रति एकड़ कृषि निवेश हेतु 5,000 रू0 DBT के माध्यम से दिए जायेंगे। इस संदर्भ में डाटाबेस तैयार किया जाना है। इसी क्रम में राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के द्वारा वर्ष 2015–16 के phase –I (प्रक्रियाधीन) कृषि गणना से संबंधित आंकड़ों को एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जा रहा है।

उससे संबंधित ऑकड़ों के शुद्धिकरण एवं अद्यतन करके 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना' के लाभुकों के डाटाबेस तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश निम्नप्रकार है :

1. सभी जिलों को उपलब्ध कराए गए पूर्व – मुद्रित सूचनाएँ (pre - printed notices) का संबंधित राजस्व कर्मचारी/जनसेवक/पंचायत सेवक/चौकीदार/ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं संबंधित थानों, प्रखंड समन्वयक/जे0एस0एल0पी0एस के डी0पी0एम0 एवं बी0पी0एम0, ग्राम विकास समिति के सदस्य/मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग विकास बोर्ड के जिला समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयक एवं अन्य के सहयोग से लाभुकों का तामिला करवाया जायेगा। ये पूर्व – मुद्रित सूचनाएँ (pre - printed notices) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिनांक 09.01.2018 तक SQL Data Base के माध्यम से सभी जिलों के DIO को उपलब्ध कराया जायेगा । संबंधित जिलों के DIO द्वारा पूर्व – मुद्रित सूचनाएँ (pre - printed notices) को उपायुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा । इसका एक प्रारूप (प्रपत्र A) इस पत्र के साथ संलग्न है।

   संबंधित जिले के उपायुक्त उक्त कार्य हेतु जिला में उपलब्ध अन्य संसाधनों का भी आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे।

2. राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से लाभुकों/कृषकों से प्राप्त किए जाने वाले पूर्व – मुद्रित सूचनाएँ (pre - printed notices) (प्रपत्र – A), स्वहस्ताक्षरित वंशावली (प्रपत्र – B) तथा सहमति पत्र (प्रपत्र – C) का प्रारूप तैयार कर सभी जिलों को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कृषि गणना में दर्ज किसान/खाता धारक की मृत्यु हो गयी है तो सिर्फ उसी स्थिति में स्वहस्ताक्षरित वंशावली (प्रपत्र B) में उत्तरजीवी द्वारा भर कर जमा किया जायेगा ।